

गहलोत की आधा घंटे खड़गे से वन-टू-वन मुलाकात

भीलवाड़ा में इस वर्ष कोरोना से पहली मौत

भीलवाड़ा, 18 मार्च (निस)। जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी हॉस्पिटल (एम.जी.एच.) के नर्सिंग उप अधीक्षक की कोरोना से मौत हो गई। जिले में इस साल कोरोना से ये पहली मौत है। तीन दिन पहले तबीयत

भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े अस्पताल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल के नर्सिंग उप अधीक्षक महेन्द्र सिंह राठौड़ की मौत हो गई। राठौड़ हाल ही में कोरोना पॉजिटिव आए थे और तबियत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था।

खराब होने पर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज चल रहा था। आर.आर.टी. प्रभारी डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में 21 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल के उप नर्सिंग अधीक्षक महेन्द्र सिंह राठौड़ भी शामिल थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शुक्रवार (शेष पृष्ठ 5 पर)

मु.न्यायाधीश एक बार फिर "कोलीजियम" के बचाव में कूदे

यह सिस्टम चाहे "परफैक्ट" न हो, पर, उपलब्ध विकल्पों में सर्वोत्तम है

-डा.सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मार्च। उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका के दखल और देश की न्यायपालिका को नियंत्रण में रखने के मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी. वॉय चन्द्रचूड़ ने आज यह कहते हुए वर्तमान कोलीजियम सिस्टम का पक्ष लिया कि "कोई भी सिस्टम अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उपलब्ध सिस्टम में यह सबसे अच्छा सिस्टम है।" सी.जे.आई.ने इण्डिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में कहा कि यदि न्यायपालिका को बाहरी हस्तक्षेपों से बचना है तो इसका स्वतंत्र होना जरूरी है।

जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा कि "कोई भी सिस्टम परफैक्ट नहीं होता, लेकिन हमने जो सिस्टम बनाए हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य न्यायपालिका की आधारभूत स्वतंत्रता की रक्षा करना था।

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम के प्रति अपनी नाकसूची व्यक्त करने वाले विधि मंत्री किरन रिजिजू के लिए भी सी.जे.आई.ने जवाब दिया। रिजिजू ने कोलीजियम द्वारा संवैधानिक कोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए की गई नामों

मु.न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि, सबसे महत्वपूर्ण बात है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रखनी चाहिए।

"मेरे व विधि मंत्री के विचारों में (परसैपान में) भिन्नता हो सकती है। मुझे इन मतभेदों को मजबूत संविधान पर आधारित "कॉमन सेंस" से निपटना है।

पर, फिर शायद कुछ संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से मु.न्यायाधीश ने कहा कि, उनके 23 साल के न्यायाधीश के रूप में बीते जीवन में, उन पर कभी भी सरकार का दबाव नहीं आया कि, किस "केस" (मुकदमे में) क्या निर्णय देना है। इसका नवीनतम उदाहरण था, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो नई व्यवस्था फाइनल की।

को सिफारिशों को मंजूर नहीं करने के सरकार के कारण बताए थे।

सी.जे.आई.ने कहा कि "वैचारिक भिन्नता में गलत क्या है? लेकिन मुझे अहम संवैधानिक राजकार्य के मद्देनजर ऐसे मतभेदों से निबटना पड़ता है।" विधि मंत्री के साथ मुद्दे में शामिल नहीं होना चाहता। हमारे विचारों में मतभेद होना तय है।

रिजिजू जब से केन्द्रीय विधि मंत्री बने हैं, तब से वह सरकार की लड़ाई को सक्रिय होकर लड़ते रहे हैं। कोलीजियम सिस्टम के खिलाफ वह काफी मुखर रहे हैं। यहां तक कि एक बार तो उन्होंने इसे हमारे संविधान के लिए अनजान बता दिया था। जस्टिस चन्द्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से संतुलन स्थापित करते हुए विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि केंसों का

निर्णय किस प्रकार किया जाए, को लेकर सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है।

सी.जे.आई.ने कहा, "जज के रूप में 23 वर्ष के कार्यकाल में, मुझे से किसी ने नहीं कहा कि मैं किसी केस का निर्णय कैसे करूं। चुनाव आयोग सम्बन्धी निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है।" सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में ही यह निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उस कमेटी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बड़ी प्रबल इच्छा रही है कि उच्च न्यायालयों

और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में सरकार की निर्णायक भूमिका हो। इसी लक्ष्य को साफ तौर पर मद्देनजर रखते हुये, मई 2014 में सत्ता में आने के बाद, मोदी सरकार ने अविजय, अगस्त 2014 में ही नेशनल जूडिशियल अपॉइंटमेन्ट्स कमीशन (एन.जे.ए.सी.) स्थापित करने के लिए एक विधेयक पेश कर दिया था।

दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद, 2015 में इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की एक संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर, 2015 को 4:1 के बहुमत से एन.जे.ए.सी. एक्ट को रद्द कर दिया था तथा कोलीजियम व्यवस्था को बहाल कर दिया था।

खड़गे के निकट के लोगों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर मुलाकात गहलोत के विशेष आग्रह पर आयोजित हुई थी

-रेणु मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 मार्च। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम छ: बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में उनके निवास पर आधा घंटे की मीटिंग की। खड़गे के आवास के सूत्रों ने कहा कि खड़गे ने गहलोत को नहीं बुलाया था। गहलोत ने ही उनसे मिलने का समय मांगा था, जो उन्हें दिया गया था।

सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं की यह मीटिंग नितान्त एकांत में हुई तथा दोनों में से किसी का कोई सहायक वहाँ मौजूद नहीं था तथा यह टीक-टीक बता पाना मुश्किल है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई।

बस इतना ही ज्ञात हो सका कि कई राजनैतिक मुद्दों पर बातचीत हुई। पहला और प्रमुख मुद्दा वर्तमान पी.सी.सी. अध्यक्ष डोटासरा को हटाने से संबंधित था, जो सूत्रों के अनुसार, आज की जरूरत है क्योंकि पार्टी को इस साल विधानसभा चुनाव लड़ना है। एक

हालांकि, मुलाकात वन-टू-वन थी, तथा कोई सहायक या बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था, पर, फिर भी यह आकलन है कि, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के भविष्य के बारे में चर्चा हुई, तथा रामेश्वर डूडी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, नये प्रदेशाध्यक्ष के लिये।

जैसा कि, सोचा जा रहा था, मुलाकात में गहलोत ने 19 नये जिले बनाने के निर्णय पर अपनी पीठ थपथपाई, तथा निर्णय को "गेम चेंजर" (चुनाव का रुख बदलने वाला) साहसिक निर्णय बताया।

इस मुलाकात के जरिये शायद मु.मंत्री यह "संदेश" देना चाहते थे कि, कांग्रेस अध्यक्ष व उनके बीच कोई मतभेद या समस्या नहीं है।

मु.मंत्री रविवार दोपहर बाद जयपुर के लिए रवाना होंगे।

संभावित दावेदार के रूप में रामेश्वर डूडी का नाम जोरों से चर्चा में है।

समझा जाता है कि गहलोत ने स्वयं ही अपनी पीठ थपथपाते हुये कांग्रेस अध्यक्ष को बताया कि उन्होंने किस तरह से 19 नये जिले बनाये हैं तथा उनका

यह कदम "गेम चेंजर सिद्ध होगा।

दिल्ली में मूलरूप से यह चर्चा है कि इस मीटिंग का उद्देश्य किसी ठोस बात से नहीं बल्कि औपचारिक एवं दिखावटी ज्यादा था। चूँकि गहलोत से (शेष पृष्ठ 5 पर)

इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वॉरंट जारी किया

रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने इस वॉरंट को "टॉयलेट पेपर" बताया

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 मार्च। इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आई.सी.सी.) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में युद्ध अपराध डींगत करते हुए उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वॉरंट की घोषणा की है, लेकिन क्या पुतिन पर अन्ततः कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा? इसका उत्तर शायद ना है।

इसका कारण यह है कि रूस अपने कट्टर प्रतिद्वंदी अमेरिका की भांति आई.सी.सी. का सदस्य नहीं है, इसलिए वॉरंट जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि आई.सी.सी. के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोई पावर नहीं है।

रूस के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आई.सी.सी.) को गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस संधि के अंतर्गत आई.सी.सी. का गठन हुआ है, न तो रूस और न ही अमेरिका ने उस संधि पर आज तक हस्ताक्षर किये हैं।

पर आई.सी.सी. के वकील करीम खान ने कहा, 120 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं, अतः पुतिन यदि इन 120 देशों में से किसी देश की भूमि पर गये तो वे गिरफ्तार हो सकते हैं। अतः इस वॉरंट से उनके आवागमन पर कुछ प्रतिबंधन तो जरूर लगा है। और अगर बुरे दिन आये तो वे इन 120 देशों में से किसी देश में जाने पर गिरफ्तार भी हो सकते हैं।

और जिस संधि "द रोम स्टैट्यूट" के जर्जर यह कोर्ट गठित किया गया, रूस उसका हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है। यह स्थिति किसी भी संदिग्ध के प्रत्यर्पण को करीब-करीब असंभव बना देती है। (शेष पृष्ठ 5 पर)

मध्यप्रदेश में ट्रेनर विमान क्रैश हुआ

इंदौर, 18 मार्च। मध्यप्रदेश के बालाघाट में शनिवार (18 मार्च, 2023) को दोपहर को एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। विमान में एक पायलट और सह-पायलट सवार थे। हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर रवाना हो गई

इस दुर्घटना में दोनों पायलटों की मौत हो गयी।

हादसा बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर के बीच भक्कुटोला-कोसमारा की पहाड़ी पर हुआ। चट्टान के बीच एक जली हुई लाश दिखाई दे रही थी, जबकि अधिकारी दूसरे की तलाश कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही बालाघाट पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक, पायलट के साथ एक महिला ट्रेनी पायलट भी थी।

यह प्लेन महाराष्ट्र के गाँविया जिले के बिरसी एयरपोर्ट का ट्रेनिंग विमान था। बिरसी एयरस्ट्रीप से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी, जो दुर्घटनास्थल हो गया है। (शेष पृष्ठ 5 पर)

किस को ज्यादा नुकसान होगा आंतरिक कलह से कर्नाटक में?

मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में, संभवतया कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा

-लक्ष्मण वेंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 मार्च। कर्नाटक में दो प्रमुख दावेदार राजनैतिक दलों-सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस में एक बात तो समान दिखाई दे रही है कि जैसे-जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों ही दलों में अंदरूनी लड़ाई बढ़ती जा रही है।

वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है तथा चुनाव-प्रक्रिया उससे पहले पूरी की जानी है। अगर भाजपा के अंदर का आक्रोश एवं विद्रोह पार्टी को अलग-अलग दिशाओं में खींचता दिखाई दे रहा है, जैसा कि पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान, बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ कार्यकर्ताओं के आक्रोश से संकेत

अभी कांग्रेस का पलाड़ा कुछ भारी लग रहा है, क्योंकि, 40 प्रतिशत कमीशन का कांग्रेस का आरोप, भाजपा सरकार पर जमता सा नजर आ रहा है। पर, चुनाव के बाद सिद्धारमेया व शिव कुमार की प्रतिद्वंद्विता जब खुलकर बाहर आयेगी, तो, हो सकता है, जीती हुई पारी, कांग्रेस गोल के नजदीक पहुंचकर हार जाये।

हालांकि येदियुरप्पा का, पुत्रवाद व परिवारवाद के मुद्दे पर विरोध जग जाहिर है, पर, फिर भी उनका खेमा उन्हें ही मु.मंत्री पर का मुख्य दावेदार मानता है। पर, भाजपा हाईकमान, पार्टी अध्यक्ष के मार्फत एक ही मैसेज दे रहा है लगातार कि, मु.मंत्री बोम्मई ही उनकी अगली पसंद है।

मिला, यह आक्रोश उन पर उनके बयान की वापसी के लिये मजबूर करता प्रतीत हुआ, तो कांग्रेस में भी, उसके दो शीर्ष

नेताओं- पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमेया तथा के.पी.सी.सी. प्रमुख डी.के. शिव (शेष पृष्ठ 5 पर)

सुजानगढ़, भीनमाल, तिजारा, कामां, शाहपुरा के जिला नहीं बनने पर उठे भारी विरोध के स्वर

लोगों ने स्थानीय विधायकों से इस्तीफे मांगे

जयपुर, 18 मार्च (का.प्र.)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विनियोग विधेयक पारित कराने से पहले राजस्थान में 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा की, जिसे मास्टर स्टोक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ एंटी इनकेंबेंसी थामने का प्रयास किया, बल्कि रूठों को भी चुप कराने का प्रयास किया है। दूसरी ओर इस घोषणा के अगले दिन ही जिस तरह से कई जगह से विरोध की आवाजें बुलंद हुई हैं और स्थानीय विधायकों का विरोध होने लगा है। उसके बाद लगता है कि जिले जहां बनाने थे, वहां बनाने के बजाय मुख्यमंत्री ने अपने नजदीकी लोगों को खुश करने का प्रयास किया है। ऐसे में कई जिलों को लेकर बड़े सवाल भी उठ खड़े हुए हैं।

सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हुआ है कि जब जयपुर शहर को दो हिस्सों में बांटा जाना था, तो फिर दूद को अलग से जिला बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही थी।

दूद पहले से ही पंचायत मुख्यालय है, जयपुर से उसकी दूरी 60 किलोमीटर और अजमेर से उसकी दूरी 65 किलोमीटर है और साथ ही दूद नेशनल हाईवे पर स्थित है। ऐसे में वहां जिला बनाया जाना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ना तो दूद की आबादी इतनी है, ना दूद के आसपास की पंचायत समितियों की आबादी इतनी है कि उसे जिला बनाया जाए। इसी तरह से सवाई माधोपुर से अलग करके गंगापुर सिटी को जिला बनाया जाना न्याय संगत नहीं बताया जा रहा है। इसका कारण यह है कि गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर से 70 किलोमीटर दूर है, साथ ही

करोली जिला मुख्यालय से उसकी दूरी 50 किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में गंगापुर सिटी को किसलिए जिला बनाया गया है, यह लोगों की समझ से परे है। कहा जा रहा है कि अपने दो नजदीकी निर्दलीय विधायकों को खुश करने के लिए दूद और गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया है। इसके अलावा खैरथल, जिसकी अलवर से दूरी सिर्फ 47 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद उसे भी जिला घोषित कर दिया गया है, जिसे न्याय संगत नहीं बताया जा रहा है। नए जिलों के गठन में उपेक्षित छूट गए क्षेत्रों में भारी विरोध हो रहा है। सबसे बड़ा विरोध चूरु जिले के (शेष पृष्ठ 5 पर)



सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाने के कारण आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाइवे-58 जाम कर दिया, दिनभर सुजानगढ़ के मुख्य बाजार बंद रहे। सालासर में आक्रोशित भीड़ ने टायर जलाकर हाइवे बंद कर दिया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थेरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

महिला ने चार युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया
बीकानेर, 18 मार्च (का.प्र.)। महाजन थाने में शनिवार को एक महिला ने चार लोगों के खिलाफ अपहरण करने के दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। थाने में दर्ज मामले के अनुसार पीड़ित महिला ने बताया कि पति के साथ अनबन के चलते वह पिछले कुछ समय से अपनी

बीकानेर के महाजन थाने में उक्त महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि, चार लोगों ने जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया।

बुआ के घर में रह रही है। बुआ के घर में देवीलाल कूकणा का आना जाना रहता है। इसी के चलते गत 12 मार्च को भी वह घर आया था, तब घर पर कोई नहीं था तो मौका पाकर देवीलाल ने पीड़िता को जूस में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसका अपहरण कर लिया गया। (शेष पृष्ठ 5 पर)

सख्त मल (कब्ज) व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार
जगवृषी
www.jagraviherbal.com